

राजस्थान राज—पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 23, गुरुवार, शाके 1932—मई 13, 2010 Vaisakha 23, Thursday, Saka 1932—May 13, 2010

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विकास विभाग

अधिसूचना जयपुर, मई 13, 2010

एस.ओ. 108:—राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (अधिनियम 2010 का 13) की धारा 1 की उप—धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा मई, 2010 के तेरहवें दिन को ऐसी तारीख नियत करती है, जिससे उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[संख्या 2 (25) पपा / 2009] राज्यपाल की आज्ञा से, ओ. पी. सैनी, प्रमुख शासन सचिव।

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES

NOTIFICATION

Jaipur, May 13, 2010

S.O. 108.—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 1 of the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010 (Act No. 13 of 2010), the State Government hereby appoints the 13th day of May, 2010 as the date on which the provisions of the said Act shall come in to force.

[No. 2 (25) AH/2009] By Order of the Governor, ओ. पी. सैनी, Principal Secretary.

25 Government Central Press, Jaipur.